राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की योजनाएं

जिला परिषद, बारां

अनुक्रमणिका

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	वृद्धावस्था, विद्यवा एवं पेंशन योजना	1-2
2.	13 वां वित्त आयोग	3-4
3.	राज्य वित्त आयोग तृतीय	5-6
4.	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	7
5.	निर्बन्ध राशि योजना	8-11
6.	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	12
7.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	13
8.	रियायती दर पर एवं निशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन	14
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	15-16
10.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(एमपीएलएडी)	17
11.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी)	18
12.	स्वविवेक जिला विकास योजना	19
13.	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई)	20-21
14.	डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	22
15.	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	23-25
16.	माडा कार्यक्रम	26-28
17.	सम्बल ग्राम विकास योजना	29-31
18.	ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	32-34
19.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	35-36
20	जलग्रहण क्षैत्र विकास कार्यक्रम	37-40
21	जिला परिषद बारां के सदस्य गणों के नाम व फोन नम्बर	41
22	प्रधानगणों के नाम व दूरभाष नम्बर एवं विकास अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर	42
23	जिला स्तरीय अधिकारियों के नाम/पद मय मोबाईल नम्बर	43
24	जिला परिषद अधिकारियों के नाम/पद मय मोबाईल नम्बर	44
25.	आवेदन – पत्र परिशिष्ठ – 1, 2, 3, 4, 5	45

निः शक्त व्यक्तियों को पेंशन

पात्रताः

- राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी एवं स्थायी रूप से निवास करते है।
- आयु 8 वर्ष से अधिक हो (राजस्थान सरकार द्वारा आयु में विषम परिस्थतियों की छूट दी जासकती है)।
- अपाहिज, अपंग एव अन्धे होने के फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हैं।
- निम्न में से निकटतम सम्बन्धी 25 वर्ष को हो और आजीवीका कमाने योग्य हो तो पेंशन नही मिलेगीः–

  (क) पुत्र, पुत्र का नाम

  (ख) पति, पत्नि

  (ग) पिता, माता, भ्राता पितामह (इसमें सौतेले शामिल नहीं हैं)
- भीख मांगकर खाने वाले शामिल नहीं होगें।
- पात्र विकालांग पति एवं पत्नी दोनों को अलग–अलग पेंशन देय है।

<u>पेंशन लाभ</u>ः–

राजस्थान अपहिज, अपंग एवं अधें व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1985 में संशोधन आदेश दिनांक 30.04. 2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 से 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विकलांग व्यक्तियों व्यक्तियों को रूपयें 750 प्रतिमाह, एवं 75 वर्ष से कम आयु के पात्र विकलांग व्यक्तियों को रूपये 500 प्रतिमाह पेंशन देय है।

<u>आवेदन कहां करें</u>ः–

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी , पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा हैं) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं। आवेदन पत्र पचांयत समिति, तहसील कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

वृद्वावस्था एवं विधवा पेंशन

पात्रताः–

निम्नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला या किसी भी आयु की विधवा पेंशन स्वीकृति की जासकती है–

- राजस्थान का वास्तविक निवास हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो।
- जीवन निर्वाह हेतु आयु का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
- उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारिरिक रूप से अक्षम हो।
- गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) एवं किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी के यहां पंजीकृत हो, को निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तो में छूट प्रदान की गई
- सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमी की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नही किया गया है।

<u>पेंशन लाभः–</u>

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स	500 रूपये प्रतिमाह पेंशन
75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स	750 रूपये प्रतिमाह पेंशन
पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनो ही 75 वर्ष से कम हों	100 रूपये प्रतिमाह पेंशन
पति एवं पत्नी (सयुक्त पेंशन) दम्पति में से किसी एक की भी आयु 75 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर	150 रूपये प्रतिमाह पेंशन
पति एवं पत्नी (सयुक्त पेंशन) दोनो ही 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों	1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन
किसी भी आयु की विधवा	500 रूपये प्रतिमाह पेंशन

<u>आवेदन कहां करें</u> :–

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रपस्तुत कर सकता हैं। आवेदन पत्र पचांयत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

13 वां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा निर्देश

प्रस्तावनाः–

तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2010–15 (5 वर्ष) है। राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से सामान्य बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का प्रावधान किया गया है। सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का वर्ष 2011–12 से प्रावधान किया गया है।

उदेदश्य :–

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पचांयती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान से पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख कार्य / उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करेन हेतु आपुर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
2. ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था में आवश्यक ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबधंन की व्यापक आवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु शौचालया स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढगं से निपटान ग्रामीण वातावरण में सामान्य को सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराना।
3. पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त साधारण की व्यवस्था करना।
4. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित परिसम्पत्तियों का रखरखाव तथा समुचित सांधारण करना।

कार्यकारी ऐजेन्सीः–

तेरहवें विता आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही होगी।

राशि का अन्तरणः–

पंचायती राज संस्थाओं हेंतु 13 वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलो हेंतु राशि आवटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाले कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3% राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एव 12% राशि पंचायत समितियों के पीडी खातों में तथा 85% का आवंटन ग्राम पंचायतो को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा। जिसमें पंचायत समितियों एवं ग्राम पचांयतो को राशि का वितरण वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा।

जिला परिषद एवं पचायत समितियों को उक्तानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग ऐसी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा जिनमें जनसख्यां के अनुपात में उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि उन ग्राम पंचायतों की पेयजल एव स्वच्छता की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु ग्राम पंचायतो द्वारा

अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और 13 वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि/संसाधन की मांग ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से की जायेगी। अतिरिक्त राशि/संसाधन का आवंटन करते समय जिला परिषद एवं पंचायत समितियों यह आवश्य ध्यान में रखेंगें कि उक्तानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त आवंटन से ग्राम पंचायतों में सामान्य तौर पर समानुपातिक विकास हो सके।

सम्पादित कराये जाने वाले कार्य :–

तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के लिए योजनओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्य कराये जा सकेंगें :–

1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
2. बावडियों टांकों, कुओं, पनघट, हैडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो सुदृढ हो सकें, का जीर्णोद्वार/निर्माण/संवर्धन/तथा खराब हैंडपम्पों का उचित सांधारण कराना।
3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुएं, पानी की टंकियां इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण संस्थाओं /सामुदायिक भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों /चल शौचालियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रो में स्थिति राजकीय शिक्षण संस्थाओं में बालक –बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. पंचायत क्षेत्रो में गदें पानी की निकास हेतु नालियों का निर्माण।
7. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाटबाजार मेला स्थल, सार्वजनिक, प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में कूडें करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना ।
10. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फलश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
12. भूमिगत जलस्त्रोतों से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जलसंग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/ मोटर के सांधारण की उचित व्यवस्था करना।
13. पचांयती राज संस्थाओं को अभी हस्तातरित कार्यो/क्रिया–कलापो के कियान्वयन की तैयारी के लिए व्यवस्था करना।
14. ऐसे अन्य कार्य जिनसे तेहरवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकें।

<u>कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था :–</u>

1. ग्राम पंचायतो द्वारा योजनान्तर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। ग्राम सभा द्वारा वरीयता के क्रम में अनुमोदित कार्यो की सूची संबंधित पंचायत समिति को प्रस्तुत की जावेगी। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाकर संबंधित जिला परिषद को प्रस्तुत की जाएगी। उक्त प्रक्रिया हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 174 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य वित्त आयोग तृतीय

1. **उद्देश्य :–**

यह राशि वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में विभिन्न मदों में विभाजित करने के स्थान पर निर्बन्ध अनुदान (अनटाईड ग्रान्ट) के रूप में पचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाऐं इस राशि को विभिन्न सवाओं के रख–रखाव एवं 12 वे वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि के पूरक के रूप में उपयोग की जायेगी।

राज्य वित्त आयोग तृतीय के अन्तर्गत निम्नांकित आधारभूत सेवाओं का रख रखाव नीचे दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किया जाना चाहियेः–

(1) पेयजल आपूर्ति
(2) स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की निर्माण शामिल है) एवं सफाई व्यवस्था।
(3) गलियों एवं सडकों पर प्रकाश व्यवस्था
(4) प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का रखरखाव
(5) प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का रख रखाव
(6) शवदाह एवं कब्रिस्तान का रखरखाव
(7) बस अड्डे, प्याउ और अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव राज्य वित्त आयोग तृतीय के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान से उक्तानुसार आधारभूत सेवाओं को रखरखाव के क्रम में आवश्यकता होने पर उक्त सेवओं के सुदृढीकरण, संवर्द्धन, सुधार एवं विस्तार हेतु नवीन कार्य भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

जिला परिषद एवं पचायत समिति को आवंटित क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग अंतिम निर्देश जारी होने तक राज्य वित्त आयेग द्वितीय के तहत पूर्व में जिला परिषद एवं पचांयत समितियों को प्रदत्त क्रमशः 3 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जोयेगा।

2. **राशि के उपयोग बाबत प्रतिबंधः–**

यह राशि निर्बन्ध राशि के रूप में ही दी जा रही हैं परतु किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा इसका उपयोग वेतन भत्तों के भुगतान के रूप में नही किया जायेगा तथा इस राशि का आधारभूत जन सेवाओं के रख–रखाव के अतिरिक्त अन्य कार्यो में व्यय नहीं किया जावेगा। 12 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत संपादित होने वाले कार्यो के पेटे देय मजदूरी अंश पर यह प्रतिबंध नहीं है। यह राशि चार दिवारी (स्कूल चारदिवारी के अतिरिक्त) सामुदायिक हॉल चबुतरा, स्वागत द्वार एवं हथाई बनाने के कार्यो पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. पंचायत राज संस्था को प्रदत्त अनुदान का सबसे अच्छा उपयोग किस सेवा के लिए किस सेवा के लिए किस रूप में क्या होगा। इसका निर्णय संबंधित पंचायत राज संस्था द्वारा किया जावेगा परंतु उसे इस अनुदान से इन जन सेवाओं के लिये नये या अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने या विद्यमान कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की इजाजत नहीं होगी।

4. राशि का हस्तांरण :–

पंचायत राज संस्थाओं हेतु जिलेवार कुल राशि का हस्तांतरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समतियों के पी.डी. खाते में किया जायेगा जिले को आवंटित कुल राशि में से 3 प्रतिशत का उपयोग जिला परिषद द्वारा, 12 प्रतिशत राशि का उपयोग पंचायत समिति द्वारा और शेष 85 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायतो द्वारा किया जावेगा। पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 32 जिलों हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये सुत्र के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कूल राशि की 3 प्रतिशत राशि का अन्तरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला पिरिषदों के पी.डी. खातों में किया जावेगा। प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली 97 प्रतिशत राशि में से पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक किश्त की कुल राशि का 12 प्रतिशत का आवंटन पंचायत समितियों हेतु एवं 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों हेतु संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में कर दिया जायेगा। पंचायत समितियों अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतो हेतु उक्तानुसार आवंटित 85 प्रतिशत राशि का अंतरण रेखांकित चैक अथवा मनी ट्रांसफर (बैंक के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में डेबिट एडवाईस के माध्यम से होने वाले अन्तरण की प्रक्रिया) व्यवस्था से अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में राशि प्राप्त होने के सात दिवस में वितरित करना सुनिश्चित करेगी।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

- दिनांक 14 अगस्त, 06 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के उदेश्य से ''पन्नाधाय जीवन अमृत येाजना'' लागू की गई हैं।

पात्रताः–

- इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच की हो। ऐसे परिवार की मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम् (सबसे बडा) व्यक्ति पात्र होगा।
- मुखिया को यह भी विकल्प होगा की वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्य आजीविका कामाने वाले का बीमा करायें।

देय लाभ :–

- इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य की निम्नांकित लाभ देय होगा। जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जावेगा।

(अ)	सामान्य मृत्यु होने की दशा में	रूपये 30,000 / –
(ब)	दूर्घटना होने में मृत्यु होने अथवा स्थायी पूर्ण शारिरिक अपंगता यथा दो आखें या दो हाथ / पैर या एक आंख व एक हाथ / पैर की क्षति होने पर	रूपये 75,000 / –
(स)	दुर्घटना में आंशिक अपंगता यथा एक आंख या एक हाथ / पैर की क्षति होने पर	रूपये 75,000 / –

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृतिः–

- बीमित सदस्य के 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृति रूपये 300 / – प्रति छात्र प्रति तिमाही अर्थात प्रतिवर्ष रूपये 1200 / – प्रति छात्र देय हैं।

आवेदन पत्र प्राप्ति का स्थानः– शहरी क्षैत्र में नगर पालिका अधिशाषी अधिकार / ग्रामीण क्षैत्र में पंचायत समिति में ग्राम सेवक के माध्यम से।

आवेदन करने का स्थानः– नगर पालिका / पंचायत समिति (संबधित कार्यालय)

संलग्न दस्तावेज (प्रमाणित फोटो प्रति):–

1. बी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र

निर्बन्ध राशि योजना

पृष्ठभूमि

विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना के तहत राज्य में 11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 का निर्माण एक विस्तृत कार्य योजना के तहत किया गया था जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड विस्तृत कार्य योजना किया जाकर इन क्षेत्रो के सम्पूर्ण विकास हेतु वांछित विभिन्न विकास कार्यो के प्रस्ताव ग्राम/वार्ड संभाओं के माध्यम से प्राप्त किये गये थे तथा इन प्रस्तावों के आधार पर ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति व जिला स्तरीय योजनाऐं तैयार की गई थी।

ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के स्तर से विभागीय मानदण्डो के तहत परीक्षण किया जाकर निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था–

1. वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मानदण्डनुसार औचित्यपूर्ण पाये गया था–
2. वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मानदण्डनुसार तो उचित नहीं है परन्तु अन्यथा औचित्यपूर्ण पाये गये।
3. उक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त प्राप्त प्रस्तावों को चाहत सूची (Wish List) के रूप में रखा गया था।

11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो के अवशेष रहे औचित्यपूर्ण प्रस्तावों की क्रियान्विति के उद्धेश्य से वित्तीय वर्ष 2007–08 से राज्य मे निर्बन्ध राशि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक जिले को 1–1 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये जाने के प्रस्ताव है।

निर्बन्ध राशि योजना 2010–11 के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका निम्नानुसार होगी :–

1. निर्बन्ध राशि योजना 2010–11 हेतु वित्तीय प्रावधान

1.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक जिलो को 1.00 करोड़ करवाये जाने के प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल वित्तीय प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिले को 50.00–50.00 लाख उपलब्ध होगें। इसके अतिरिक्त वार्षिक योजना 2007–08 एवं 2008–09 के विरूद्व जारी राशि में से ऐसे कार्य की अवशेष राशि जिनका क्रियान्वयन अन्य योजनाओं के माध्यम से हो चुका है, का उपयोग भी निर्बन्ध राशि योजना 2010–11 के तहत किया जा सकेगा। अतः जिलों द्वारा उक्तानुसार ही वार्षिक योजना 2010–11 का प्रारूप तैयार किया जाना है।

2. योजना की कार्यकारी एजेन्सी एवं मॉनिटरिंग

2.1 निर्बन्ध राशि से करवाये जाने वाले कार्यो के लिये सामान्यतः कार्यकारी ऐजेन्सी ग्राम पंचायत/नगर निकाय होगी। विशिष्ठ प्रकार के कार्य जिनकी क्रियान्विति हेतु स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता सिमित हो, अन्य राजकीय ऐजेन्सियों से भी कराये जा सकते है।

2.2 योजनान्तर्गत करवाये वाले कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति कि मॉनिटरिंग मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य

आयोजना अधिकारी करेंगे। योजना के मोनेटरिग का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा।

2.3 राज्य स्तर पर इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग कार्य जिला आयोजना प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा किया जावेगा।

3. निर्बन्ध राशि योजना की राशि कहॉ व्यय हो सकेगीः–

3.1 योजनान्तर्गत जिलों को उपलब्ध करवाई गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि शहरी क्षेत्र
एवं शेष 80 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय की जावेगी

3.2 योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित राशि का उपयोग केवल स्थायी सम्पति की प्रकृति के कार्य करवाने में ही किया जा सकेगा। मरम्मत एवं रख–रखाव तथा कच्चे प्रवृत्ति के कार्य हेतु इस योजनान्तर्गत राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।

3.3 इस योजना से किसी पंजीकृत संस्था तथा ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन अथवा व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि नही दी जा सकेगी। धार्मिक कार्यो का कियान्वयन भी नही कराया जा सकेगा।

3.4 योजनान्तर्गत केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली स्थाई परिसम्पत्ति किसी राजकीय विभाग या राज संस्था अथवा स्थानीय निकाय की हो।

3.5 इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः वहीं कार्य लिए जाऐं जिनके लिए राज्य योजना व केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि/धनराशि उपलब्ध नहीं हैं।

3.6 योजनान्तर्गत नरेगा में अनुमत कार्यो की प्रकृति के कार्य सम्मिलित नही किये जा सकेंगे परन्तु नरेगा के तहत निर्मित कच्चे कार्यो को योजनान्तर्गत पक्का काराया जा सकेगें परन्तु नरेगा के तहत निर्मित कच्चे कार्यो की योजनान्तर्गत पक्का कराया जा सकेगा।

4. कार्यो का चिन्हिकरण–

4.1 इस राशि से करवाये जाने वाले सभी कार्या जिला योजना में सम्मिलित कार्य ही होंगे, जिनमें वे कार्य प्राथमिकता से लिये जायेगें जो कि औचितयापूर्ण श्रेणियों में सूचीबद्व है परन्तु 11 वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं किये गये है।

4.2 जिला योजना में सूचीबद्व प्रथम श्रेणी के कार्यो के कम में यथा संभव कोई परिवर्तन नहीं किया जावें क्योंकि इनका प्राथमिकता कम संबंधित पंचायत समिति की सामान्य बैठक में तय किया हुआ है।

4.3 यदि प्रथम श्रेणी में कोई प्रस्ताव शेष नही बचते है तो द्वितीय श्रेणी के प्रस्तावों में से कार्यो का चयन किया जा सकता है, परन्तु तृतीय श्रेणी का कोई कार्य निबन्ध राशि योजना अन्तर्गत नहीं करवाये जायेगें।

5. यद्यपि यहि निर्बन्ध राशि है, जो जिला आयोजना समिति द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत कार्यो को सम्पन्न करने हेतु है, लेकिन मार्गदर्शिका के रूप में सामान्यतः निम्न कार्यो को प्राथमिकता दी जाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि ग्रामीण/शहरी क्षेत्र मं सामाजिक व आर्थिक का आधारभूत ढाचा तैयार हो सकें।

5.1 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण।

5.2 ऐसे नदी व नालों पर छोटे पुल/रपट का निर्माण जिनके कारण से बरसात के मौसम में ग्रामीण के आने–जाने में बाधा आती है।

5.3 सार्वजनिक भवनों/विद्यालयों में महिला एवं पुरूष शौचालयों का निर्माण एवं चार दीवारी का आवश्यकतानुसार निर्माण।

5.4 आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण एवं मौजूदा आंगनबाडी केन्द्र पर शौचालयों एव एवं चार दीवारी का आवश्यकतानुसार निर्माण।

5.5 स्वास्थ्य उप केन्द्र भवनों का निर्माण

5.6 पशु चिकित्सा उप केन्द्र भवन का निर्माण

5.7 ऐसी ग्राम पंचायते जहां माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित है, जिनमें दूर–दूर के गांवो से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते है। ऐसे स्थानों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा सभी वर्गों की रहने हेतु छात्रावास भवनों का निर्माण।

5.8 सार्वजनिक कुओं/ नलकूपों को ढकने का कार्य।

5.9 पेयजल संबंधी कार्य।

6. कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायतो/नगर निकायों का चयन –

6.1 ऐसी ग्राम पंचायते/शहरी निकाय जिनमें उक्त वर्णित आधारभूत सुविधाये उपलब्ध नहीं है।

6.2 ऐसी ग्राम पंचायते/शहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के है, उन्है प्राथमिकता दी जावे।

7. कार्यो की स्वीकृति–

7.1 मार्गदर्शिका को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य आयोजना अधिकारी ग्राम पंचायतो/नगर निकायों को चिन्हित करेंगे।

7.2 चिन्हित ग्राम पचायंतो/नगर निकायों द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो को इन निर्देशों के अनुच्छेद 3,4 एवं 5 के अध्यधीन रहते हुए सूचीबद्व करेंगे एवं इन प्रस्तावों को जिला आयोजना समिति के सम्मुख रखकर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

7.3 आंगनबाडी केन्द्र भवन स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र भवन निर्माण के कार्य सम्बन्धित प्राशसनिक विभागों द्वारा केन्द्रो को खोलने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति होने पर ही इस योजना में प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

7.4 जिला आयोजना समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति (ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से) प्राप्त की जावेगी।

7.5 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी जारी करेंगे।

8. वित्तीय प्रबन्धन –

8.1 योजनान्तर्गत जारी विभिन्न वित्तीय एवं प्राशसनिक स्वीकृतियों के अनुसार मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद के पी0डी0 खाते से राशि का हस्तारण ग्राम पंचायतो/नगर निकायों के बैंक खातों में करवायेगें।

8.2 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के लिये ग्राम पंचायतों/नगर निकायों को निम्नानुसार राशि का हस्तारण किया जावेगा–

1. **प्रथम किश्त**– स्वीकृति राशि की 50 प्रतिशत राशि, वित्तीय स्वीकृति जारी होने के साथ (अग्रिम)।
2. **द्वितीय किश्त**– स्वीकृति राशि की 50 प्रतिशत राशि, प्रथम किश्त के उपयोग होने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर।

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम :–

❖ दिनांक 01.7.2002 से जिले के समस्त राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त शालाओं की कक्षा 1 से 65 में अध्ययनरत विद्यार्थीयों को कम से कम 300 कैलोरी एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दिनांक 14.11.2007 से जिले के समस्त राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त शालाओं की कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थीयों को 150 ग्राम खाद्यान से निर्मित पका हुआ भोजन प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य उदेदश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मध्यान्ह समय से भोजन उपलब्ध करवाकर इसकी सहायता से विद्यालयों का नामांकन बनाए रखना एवं उसमें बढोत्तरी करना है। इसमें प्रत्येक कार्य दिवस में सरकार द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मीनू इस प्रकार है :–

सोमवार :– रोटी–सब्जी एवं चावल (सादा)
मंगलवार:– रोटी, दाल एवं चावल (मीठा)
बुधवार :– रोटी, दाल या बाटी दाल
गुरूवार :– रोटी, सब्जी एवं चालव (सादा)
शुक्रवार :– नमकीन खीचडी (दाल, चावल एवं सब्जीयुक्त)
शनिवार :– रोटी, सब्जी या स्थानीय मांग कें अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाना है।

साथ ही सप्ताह में एक दिन मौसमी फल दिये जाने का प्रावधान है। आंवले से निर्मित मुरब्बा, आचार इत्यादि भी दिया जाता है। इसकी निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये नार्मस के अनुसार अधिकारीयों के माध्यम से जिला स्तर पर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि इस योजना में आ रही समस्या/कमिंया को तत्काल दुरूस्त किया जा सके।

❖ **रसोईधर निर्माण** :– विद्यालयो में स्वच्छता पूर्वक भोजन पकाए जाने की दृष्टि से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 588 विद्यालयों में एक पृथक रसोईधर का निर्माण किया जा चुका है। शेष विद्यालयों में पृथक रसोईधर का निर्माण किया जावेगा।

❖ **बर्तन व्यवस्था** :– सभी विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध है, पोषाहार बर्तनों में ही परोस कर दिया जा रहा है। विभाग के निर्देशानुसार विद्यालयों की मांग अनुसार बर्तन और क्रय किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये है।

❖ **कुककम हेल्पर की व्यवस्था** :– जिले में मिड–डे–मील वाले 1482 विद्यालयों में 2111 कुककम हेल्पर की व्यवस्था है। जिनमें 1693 महिला कुककम हेल्पर है। जिनके द्वारा खाना बनाया जा रहा है।

❖ **गैस कनेक्शन** :– जिले के 384 विद्यालयों मे गैस कनेक्शन एवं 384 गैस भट्टीयां (गैस चूल्हे) उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यालयों में गैस पर ही पौषाहार पकाया जाता है।

- ❖ **अक्षय पात्र फाउन्डेशन :–** जिले की तहसील किशनगंज एवं शाहाबाद के 123 विद्यालयों में इस संस्था के द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ❖ **महिला अन्नपूर्णा सहकारी समिति :–** पंचायत समिति शाहाबाद की दो–दो ग्राम पंचायतों के 44 विद्यालयों में समिति द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के शेष 1315 विद्यालयों में एसएमसी पोषाहार उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

इस योजनान्तर्गत भवन रहित ग्राम पंचायत को नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 2.50 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2007–2008 व 2009–2010 मे निम्न ग्राम पंचायत को राशि स्वीकृत की गई :– बालाखेडा , शाहपुरा, महुआ, माल बमोरी, महलपुर, खेडलीगंज, धाटाखेडी, पंचपाडा, निपानियां, तेलनी ,शेरगढ, बिजौरा, पलायथा, हरनावदाशाहजी, सारथल, भुवाखेडी , तेलनी , छतरगंज ,करनाहेडा, सुन्दलक, कस्बाथाना, खाण्डासहरोल, बडगाँव, जारेला, महलपुर ,मालबमोरी ,करनाहेडा, सुन्दलक, बटावदा, कोटडापार ,कडैयावन , भुलोन , बापचा , तेलनी , भुवाखेडी , मुंडक्या, अजनावर ,मोखमपुरा ,अमलावदाआली ,बालदा ,बीलखेडामाल ,खाण्डा सहरोल।

रियायती दर पर एवं निशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में सशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रतिवर्ग मीटर) पर आवंटित किये जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नाकिंत कमजोर वर्गो के ऐसे परिवार जिनके पास स्वंय के गृह स्थल/गृह नही हो, पात्र होगें:–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
- स्वच्छकारों व पिछडे वर्गो के परिवार
- ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
- श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार
- विकलांग व्यक्ति
- गाडिया लुहार, यायावर (धुमक्कड) जनजातियों के परिवार
- ऐसे बाढग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ में बह गये हैं या गृह या गृह बाढ क कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है।
- सहरद पर पूर्व सैनिक

पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से रहने की इच्छा रखता है, तो जिसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वयं का कोई आवासीय भूखण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भूखण्ड पाने का पात्र होगा।

निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन–पंचायतो को सशवत करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे (बी.पी.एल. में चयनित) परिवरों, धुमक्कड भेडपालकों के परिवारों को निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने की शक्तियां पचायंतयो को दिये जाने हेतु नियम 158 में संशोधन के आदेश दिनांक 9.4.07 एवं 18.06.07 को जारी कर दिये गये है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित 157 में दिनांक 9.4.07 से संशोधन कर दिया गया है। गांवो में ऐसे अनेक परिवार है जिनके पास रहने के लिए कोई भू–खण्ड नहीं है लेकिन उन्होने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झौपडी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भू–खण्ड है और न ही कोई अन्य मकान है, उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निःशुल्क नियमित कर दिये जायेंगे। महिलओं के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओं के नाम से ही जारी किये जायेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

मुख्य विशेषताऐं

1. ऐतिहसिक अधिनियमः–

भारत के इतिहास में पहली बार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अपने ही स्थान पर 100 दिनों गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार होगा।

2. काम मांगने का अधिकारः–

प्रत्येक पिरवार को सरकार से 100 दिनों का रोजगार मांगने का अधिकार होगा। इस प्रकार यह एक अधारित अधिनियम है और न कि पहले की मजदूरी रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित योजना।

3. बेरोजगारी भत्ताः–

यदि राज्य सरकार किसी परिवार की मांग पर उसे 100 दिनों में रोजगार उपलब्ध करा पाने में असफल रहती तो वह बेरोजगारी भत्ते के संबंध में निर्धारित दरों के अनुसार परिवार की हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को मुआवजे का भुगतान करेगी।

4. ग्रामवासियों द्वारा कार्यो का चयनः–

ग्रामवासी स्वयं न कि कर्मचारि ग्राम/वार्ड सभा के माध्यम से अनुमत कार्यो में से अपने गांव के विकास के लिय शुरू किय जाने वाले प्राथमिकता के बारें में निर्णय लेंगे।

5. महिलाओ को प्राथमिकताः–

योजना में महिलओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और एक तिहाई रोजगार के अवसर उन्हे उपलब्ध कराए जाएगें।

6. पूर्ण पारदर्शिताः–

योजना में पूर्ण पारदर्शिता होगी और पंचायत के कार्यो एवं रिकार्ड का ग्रामसभा द्वारा वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण होगा।

7. ठेकेदारों पर प्रतिबंध :–

इस योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुमति नही दी गई है।

8. पंचायतों की निर्णायक भूमिका :–

सभी स्तरों पर पंचायते योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभांएगी।

9. श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएंः–

योजनाके अन्तर्गत कार्यस्थल पर अनेक सुविधाऐं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर घायल होने के मामले में निःशुल्क चिकित्सा का और श्रमिकों की मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग होने के मामले में मुआवजे का प्रावधान है।

10 अनुमत कार्यो का विवरण एवं प्राथमिकताः–

प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य लिए जा सकते है।

1. जल संरक्षण एवंज ल संग्रहण (जैसे कुआ, बावडी, तालाब, तलाई, चैकडेंम, एनीकट, वेस्टवियर,टांका) आदि का निर्माण।
2. सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास, सामाजिक वानिकी वृक्षारोपाण आदि।

3. सिंचाई नरह जिसमें मध्यम एवं लघु कार्य शामिल है। (जैसे कूप निर्माता,पोण्ड,वाटर चैनल आदि)
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भू–स्वामियों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए सिचांई सुविधाए,कूप निर्माण, बागवानी, वृक्षारोपण, और भूमि विकास, मेडबन्दी आदि
5. परम्परागत जल स्त्रोतो का जीर्णोद्वार/नवीनीकरण (जैसे कुआ,बावडी, तालाब, तलाई आदि)
6. भूमि विकास।
7. बाढ नियंत्रण एवं बाढ बचाव परियोजनांए जिनमें भराव से गस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है अन्तर्गत नाला, सुरक्षा दीवार निमार्ण आदि।
8. बाहरमासी सडक सर्म्पक प्रदान करने के लिए ग्रामीण सम्पर्कता अन्तर्गत ग्रामों में सडको को व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गावों में साल भर आवाजाही हो सके, सडक निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती है।
9. कोई अन्य ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श सें अधि सूचित कर सकती है।
10. अधिनियम अन्तर्गत सृजित परिसम्पतियों के रख रखाव पर होने वाला व्यय अधिनियम में अनुमत होगा साथ ही अन्य परियोजनाओं में कार्य जो अधिनियम में अनुमत है, के रख रखाव कार्य भी कराये जा सकते है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीएलएडी)

परिचय :–

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक–लोक सभा एवं राज्य सभा सदस्य की अभिशंषा पर उनके क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर विकासात्मक प्रकृति की परिसम्पतियों का निर्माण कराने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में प्रारम्भ की गई इस योजना में प्रत्येक सांसद/राज्य सभा सदस्य के लिए 1.00 करोड रूपये निर्धारित थे, जिससे बढाकर वर्ष 1998–99 से 2.00 करोड रूपये कर दिया गया है।

उद्देश्यः–

योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के निर्माण कार्य एवं टिकाउ परिसम्पतियों का सृजन करनाह है।

मुख्य बिन्दु :–

- ❖ इस योजना हेतु सम्पूर्ण केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है।
- ❖ योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंषित कर कलक्टर को प्रस्तुत किये जाते है।
- ❖ संसदो द्वारा देश में किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, चक्रवात, भूकम्प, सूनामी,तुफान,अकाल आदि की स्थिती में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो की अभिशंषा मार्ग– दर्शिका में अनुमत कार्यो हेतु की जा सकती है।
- ❖ योजना राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लागू हैं।
- ❖ योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लोगो के निवास क्षेत्रों के लिए क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यो की अभिशंषा करने का प्रावधान है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमएलएएलएडी)

परिचय :–

राजस्थान राज्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय विधायक गण की अभिशंषा पर जनोपयोगी कार्यो का निर्माण कराने हेतु वर्ष 1999–2000 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई । इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक महोदय अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार वर्ष 1999–2000 में 25.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिए अधिकृत थे परन्तु राज्य सरकार द्वारा 2000–01 के लिए प्रत्येक विधायक को 40.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2010–11 से प्रति विधायक 100.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उद्देश्य :–

- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनोपयोगी परिसम्पितियों का निर्माण कराना।
- क्षेत्रिय विकास में असंतुलन को दूर करना।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

मुख्य बिन्दु :–

- शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है।
- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में लागू है।
- निर्माण कार्य पंचायतीराज/स्वायतशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग एवं विशेष विधी के तहत गठित निगम बोर्ड आदि द्वारा करवाये जाते है।
- वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पतियों के मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकते है।
- स्वैच्छिक संस्थाओं/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्य के कियान्वयन पर संस्था द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी देनी आवश्यक है।
- कुल आवंटन में से 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र व सम्बल ग्रामों में अनुशंषा करने का प्रावधान है।

स्वविवेक जिला विकास योजना

परिचय :–

योजनाएं तैयार करते समय कई बार स्थानीय जन आकाक्षाओं एवं आवश्यकताओं को प्रार्याप्त महत्व नही मिल पाता है। अतः विकेन्द्रीत योजना को बढावा देने एवं योजना तैयार करनें में जन आकांक्षाओं व स्थानीय लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य में स्वविवेक जिला विकास योजना लागू की गई है।

उद्देशय :–

- ❖ सामुदायिक परिसम्पतियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पतियों का सृजन।
- ❖ स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार

मुख्य बिन्दु :–

जिला कलक्टर महोदय द्वारा अनुभव की गई क्षैत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के क्षैत्र में जन आकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत किये जाऐगें।

इन्दिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई)

परिचयः—

मानव जीवनयापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है, आवास के अभाव में किसी भी गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की परिकल्पना नही की जा सकती। विकास के लिए आवास ही महता एवं ग्रामीण गरीब लोगो के लिए अच्छे एवं उन्नत किस्म के मकानों की आवश्यकता को महसूस करते हुए उनकी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दिसम्बर 85 से इन्द्रा आवास योजना शुरू की गई थी। यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी। जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। 1999—2000 से जीर्ण शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारने के लिए प्रावधान के साथ—साथ गरीबों के कतिपय वर्गो को सब्सिडी के साथ ऋण देकर उनके लिए आवास बनाने जाने के लिए भी योजना प्रारम्भ की गई ।

उद्देश्यः—

बीपीएल सूची में दर्ज आवासहीन व कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीणों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर उन्हे इन्दिरा आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्य बिन्दु :—

- ❖ यह योजना केन्द्र प्रवर्तित येाजना है जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है।
- ❖ एक वित्तीय वर्ष के दौरान इन्द्रा आवास योजना के कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण/क्रमौन्नत लिए तथा अधिकतम 25 प्रतिशत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए एवं 15 प्रतिशत अल्पसंख्यको के लिए व्यय किया जाता है।

- जिले के कुल लक्ष्यों के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की सीमा में स्थायी प्रतीक्षा सूची में से पात्र विकलांग के लिए वरीयता की अनदेखी करके सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लाभान्वित करवाये जाने का प्रावधान है।
- लाभार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं आवास निर्माण करवा सकता है।
- दिनांक 01.04.2010 से राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आवास निर्माण हेतु 45000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तथा एससी लाभार्थी को राज्य सरकार की और से 5000 अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- योजना के लाभार्थी को बैंको द्वारा कम ब्याज पर वर्तमान में 4 प्रतिशत से राशि 20000रूपयें तक आवासीय ऋण की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है।
- योजना में जिल परिषद से सीधे ही लाभार्थी के बचत खाते में राशि हंस्तान्तरित की जाती है।

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

<u>परिचयः–</u>

डांग क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से 2000–01 तक राज्य के 8 जिला यथा सवाई माधोपुर करोली, कोटा,बून्दी,धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड की 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायतों में संचालित रहा। बारां जिले की 6 पंचायत समितियों अन्ता,अटरू,छबडा,छीपाबडौद, किशनंगज , शाहबाद की कुल 74 ग्राम पंचायतो में संचालित है। वर्ष 2001–02 से वित्तीय प्रावधान नही होने से यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया। परन्तु डांग क्षेत्र के सर्वागीण विकास हो ध्यान में रखते हुए डांग विकास परियोजना को उक्त 8 जिलों के साथ बारां में पुनः प्रारम्भ किया गया।

<u>उद्देश्य :–</u>

योजना का उद्देश्य दस्यु से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

<u>मुख्य बिन्दु :–</u>

- ❖ शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है।

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना
(एसजीएसवाई)

परिचयः–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। इसके अन्तर्गत चयनित मुख्य गतिविधियों के कलस्टर बनाने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करने के साथ ही प्रशिक्षण आवंसरचना प्रौधोगिक साख एवं विपणन के क्षेत्रों को विकसित किये जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे चयनित परिवारों को साख एवं अनुदान द्वारा आय वृद्धि करने वाली सम्पतियां उपलब्ध कराकर उन्हे गरीबी रेखा से उपर उठाना है।

मुख्य बिन्दु :–

- ❖ लाभान्वितों में 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।
- ❖ लाभान्वित लोगो में 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
- ❖ लाभान्वितों में 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग होने चाहिए।
- ❖ सामान्य वर्ग हेतु 30 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत की समान दर पर अनुदान देय है। सामान्य वर्ग हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 7500/रूपये व अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 10000/–
- ❖ स्वयं सहायता समूह अनुदान सीमा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अथवा प्रति बीपीएल सदस्य 10000/– अथवा 1.25 लाख रूपये जो भी न्यूनतम हो अनुदान देय है। लघु सिंचाई परियोजना हेतु अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नही की गई है।
- ❖ योजना के कियान्वयन के विभिन्न स्तर पर समन्वय, योजना की समीक्षा तथा ऋण वसूली की समीक्षा हेतु विकास खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति तथा केन्द्र स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- ❖ एसजीएसवाई योजना में प्रत्येक विकास खण्ड हेतु मुख्य गतिविधियों का चयन किया जाकर उन्हें संघन रूप से कियान्वित किये जाने का प्रावधान है। विकास खण्ड स्तरीय समिति में विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर व तकनिकी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। वे स्थानीय संसाधनों व निवासियों की क्षमता तथा कौशल के आधार पर सरपंचों व स्थानीय ग्रामीणों के समूहों से विचार विमर्श के उपरान्त 10 मुख्य गतिविधियों का चयन कर उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। इसके पश्चात इस सूची को पंचायत समिति की जनरल बॉडी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है चयनित मुख्य गतिविधियों की सूची तथा पंचायत समिति की सिफारिशों को विकास अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय एसजीएसवाई समिति को प्रेषित किया जाता है। जिला स्तरीय समिति मुख्य गतिविधियों का अनुमोदन कर विकास खण्ड हेतु 4–5 मुख्य गतिविधियों का अन्तिम चयन करती है। जिला स्तरीय स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार

योजना समिति को नवीन मुख्य गतिविधियों का चयन तथा पूर्व में चयनित गतिविधियों को हटाने का अधिकार होता है।

- ❖ इस योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से व स्वंय सहायता समूह में व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। लाभान्वित किये जाने में स्वंय सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाती है। स्वरोजगारी के चिन्हिकरण का विकास अधिकारी या उनका प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी व सरपंच की एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है।
- ❖ अनुदान अन्तिम चरण सहायिकी (बैंक एवं सब्सिडी) प्रणाली के रूप में देय है।
- ❖ स्वंय सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं विकलांगों के समूह सदस्य संख्या 5 से 20 हो सकती है। सामान्यतः समूहों में सभी सदस्य बीपीएल परिवारों के होने चाहिए, कि अधिकतम 20 प्रतिशत एवंि वशेष / विषम परिस्थितियों में अधिकतम 30 प्रतिशत सदस्य एपीएल हो सकते हैं तथा समूहों के समस्त बीपीएल परिवारों को उन्हें सदस्य बनाया जाना स्वीकार हो।
- ❖ प्रत्येक विकास खण्ड में बनाये जाने वाले कुल स्वंय सहायता समूहों में से 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के होने चाहिए। एक समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य सम्मिलित किया जाता है। तथा कोई भी सदस्य एवं अधिक समूह में सदस्य नहीं बनाया जा सकता।
- ❖ स्वंय सहायता समूहों के सदस्य अपनी बचत से समूह के कॉपर्स फण्ड को विकसित करेंगें। जिसका उपयोग आंतरिक ऋण के रूप में कर सकेंगे। 6 माह तक सफलतापूर्वक संचालन करने पर स्वंय सहायता समूहों को के रूप में बैंकों से स्वंय के फण्ड के 4 गुना तक का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कॉपर्स राशि को दृष्टिगत रखतें हुये अधिकतम 20000 रूपये तक की राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । अनुदान की राशि जिला परिषद द्वारा बैंक में जमा कराई जाती है जो अन्तिम चरण सहायिकी प्रणाली के रूप में देय होती है।
- ❖ समूहों के गठन व विकास हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं /फेसीलीटेटर्स कर सहयोग लिया जा सकता है। इससे संबंधित स्वंय सेवी संस्था/ फसीलीटेटर्स को रू0 10000 प्रति स्वंय सहायता समूह 4 किश्तों में भुगतान किया जा सकता है।
- ❖ योजनान्तर्गत प्राप्त राशि जिला परिषद द्वारा 4 मदों में प्रशिक्षण, अवसंरचना, स्वंय सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु व्यय की जाती है।
- ❖ अवसंरचनों (आधारभूत सुविधाओं) का निधारण चयनित मुख्य गतिविधि व परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध स्थानीय अवसंरचना व अतिरिक्त आवश्यक अवसंरचना की जानकारी कर किया जा सकता है। जिला परिषद द्वारा अवसंरचना विकास हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति जिला स्तरीय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा की जाती है।
- ❖ योजनान्तर्गत कुल आवंटन की 20 प्रतिशत राशि अवसंरचना मद पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।
- ❖ स्वंय सहायता समूहों की नियमित रूप से साप्ताहिक या पाक्षिक बैंठकें आयोजित कर समूहों द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण, उपस्थिती पंजिका लेखों का अभिलेख, कैश बुक पास बुक आदि का संधारण किया जाता है।
- ❖ बैंक से ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर स्वीकृति जारी की जाती है तथा ऋण स्वीकृती की सूची ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व संबंधित विभागों को प्रेषित की जाती है। स्वरोजगारी द्वारा रसीद प्राप्ति के एक माह में परिसम्पत्ति का कय किया जाकर रसीद बैंक को प्रेषित करनी होती है।

- स्वरोजगारी द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति का चिन्हिकरण कर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की सुविधा भी दी जाती है, जिसके प्रिमियम का खर्चा सरकार बैंक व लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।
- प्रत्येक विकास खण्ड के लिए चयनित मुख्य गतिविधियों के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने का प्रावधान है जिला स्तरीय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा तकनिकी विशेषज्ञों की सहायता से प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए (प्रबन्धकीय व तकनीकी) न्यूनतम कौशल आवश्यकता एमएसआर निर्धारित की जाती है। स्वरोजगारी जिनके पास पर्याप्त एमएसआर होती है उन्हें उनके निकवास स्थान के निकट ही ऋण स्वीकृति के पश्चात भुगतान के पूर्व 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके लिए कोई वृत्तिका देय नहीं है। वे स्वरोजगारी जिनके पास एमएसआर नहीं है उन्हें पालिटेक्निक, आईटीआई, व अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यदि एक सप्ताह से अधिक अवधि का हो तो बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- मुख्य गतिविधियों हेतु प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालयों पॉलीटेक्निक सामुदायिक पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रों, स्वंयसेवी संस्थाओं तथा कृषि महाविद्यालयों आदि से सहायता ली जा सकती है। प्रौद्योगिकी संबंध के लिए व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण मद से किया जाता है।
- प्रत्येक मुख्य गतिविधि के परियोजना प्रतिवेदन में विपणन की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। उत्पादों के विपणन हेतु मेले व सेल काउंटर की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है तथा जिले से बाहर विपणन हेतु राजकीय व गैर राजकीय तथा निजी संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है। ये संस्थाऐं देशी व विदेशी बाजारों में विपणन के प्रयास करेंगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 5.00 लाख रू. विपणन अनुसंधान, प्रोडक्ट के विधीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु अध्ययन के लिए व्यय किया जा सकता है।
- योजना का क्रियान्वयन पंचायत समितियों के माध्यम से जिला परिषद द्वारा किया जाता है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं बैंकों, एवं अन्य संबंधित विभागों तथा स्वंय सेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है।
- योजनान्तर्गत विशेष परियोजना हेतु कुल आवंटन की 15 प्रतिशत राशि भारत सरकार के पास आरक्षित है। जिले में उपलब्ध संसाधनों एव आवश्यकता के आधार पर जिला परिषद द्वारा विशेष परियोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जाती हैं। इन विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी राशि 75:25 के अनुपात पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- योजना में परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यान, निरीक्षण, शिडयूल का प्रावधन भी किया गया है।

माडा कार्यक्रम

जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति परिवार उत्थान की योजनायें

जिलें में जनजाति क्षेंत्र एवं जनजाति परिवारों के विकास व उत्थान की अनेक योजनाऐं माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाऐं

समूह आधारित शत प्रतिशत अनुदान की योजनाओं के तहत गैर जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में 2002 के चयनित अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए योजनाऐं इस प्रकार चलाई जा रही है।

सामूदायिक पॉवर थ्रेसर वितरण

गैर जनजाति उपयोगिता क्षेत्र में जनजाति कृषकों को विभिन्न फसलों की गढाई हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कम नुकसान पर पूर्ण गढाई हेतु मल्टीकोप थ्रेसर उपलब्ध कराया जाता है। यह थ्रेसर 4 से 6 कृषकों के अनोपचारिक समूह को प्रदान किया जाता है। इस पॉवर थ्रेसर की लागत एक लाख रू. है जिस पर शत प्रतिशत अनुदान देय है।

रासायनिक उर्वरक वितरण

जनजाति कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करेन हेतु उन्नत बीज व खाद एवं रसायन का उपयोग आवश्यक है। इसके प्रचलन हेतु इनके प्रदर्शन के तौर पर जनजाति कृषकों को इनका वितरण किया जाता है। योजना की इकाई लागत प्रति कृषक 5 हजार रू. निर्धारित है। कृषि विभाग द्वारा संचचालित इस योजना पर शत प्रतिशत अनुदान देय है।

निशुल्क सामूदायिक डीजल पम्पसेट वितरण

गैर अनुसूचित व जनजाति उपयोजना में जनजाति कृषकों को सामुदायिक डीजल/पम्प सेट/विद्युत पम्पसेट निशुल्क वितरित किये जाते है योजना में कम से कम तीन व अधिकतम पांच जनजाति कृषकों का चयन कर समूह बनाया जाता है। दिये जाने वाले पम्पसेट पर दो वर्ष का स्वामित्व विभाग का रहता है। समूह के प्रत्येक सदस्य को पम्पसेट मरम्मत व रखरखाव के लिए कार्यशील पूजी के रूप में 500 रू. का अशंदान देन होता है जिसे वे निकटवर्ती बैंक डाकघर में जमा करवाते है। सिंचाई के समय एवं सिंचाई क्षेत्र का निर्धारण समूह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध जल निधि के आधार पर किया जाता है। हॉर्स पॉवर का निर्धारित समूह एवं पंचायत समिति के तकनीकी द्वारा किया जाता है। डीजल पम्पसेट हेतु योजन में अधिकतम 36 हजार 500 रू. देय है।

सामुदायिक फव्वारा सिंचाई सेट

इस योजना में दो जनजाति के कृषकों का चयन कर समूह बनाया जाता है। समूह को प्रति हैक्टर 12 पाइप व नोजल निशुल्क वितरित किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन समूह द्वारा पंचायत समिति/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में किया जाता है। इस हेतु अधिकतम 15 हजार 800 रू. की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

सामुदायिक पीवीसी पाइप लाइन वितरण

इस योजना में जनजाति कृषकों को जल के समूचित उपयोग एवं पानी के अपव्यय को रोकने हेतु एचडी/पीई/पीवीसी पाइप का उपयोग हेतु शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में सिंचाई का पानी खुले धारों में प्रवाहित होने से होने वाले पानी के अपव्यय को रोका जाता है तथा

उपलब्ध पानी का उपयोग सिंचाई कार्य के लिए सुनिश्चित होता है। योजना में दो से तीन कृषकों का समूह बनाया जाता है तथा अधिकतम 26 हजार 400 रू. के पाइप निशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

<u>समुह आधारित आय संवर्धन योजना</u>

वर्ष 2002 के बीपीएल अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अनौपचारिक समूह बनाकर उनकी आय में वृद्धि करने हेतु समूह आधारित आय संर्वधन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में 2 से 12 व्यक्तियों के समूह बनाये जाते है।

इस योजना में आटाचक्की , ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट , स्टोन कटिंग , प्लम्बर व्यसाय , फोटो कॉपीयर मय एसटीडी , पीसीओ, वीडियोग्राफी , सीमेन्ट कंक्रीट , जाली गमले पानी की टंकी आदि का निर्माण जीप ड्राईविंग , भवन निर्माण एवं मशीनरी कार्य में कारीगर प्रशिक्षण , स्प्रे मशीन द्वारा पुताई व रंग रोगन कार्य , सिलाई प्रशिक्षण , किराना एवं जनरल स्टोर , इलेक्ट्रोनिक वायरिंग , टेंट हाउस , लकडी फर्नीचर , बैण्ड बाजा व मधुमक्खी पालन व्यवसायों में स्वरोजगार हेतु सहयता उपलब्ध कराई जा रही है।

<u>व्यावसायिक प्रशिक्षण सहायता</u>

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजाति पुरूष व महिला समूह तथा व्यक्तिगत आधार पर विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराये जाते है जिसके लिए समूह में प्रशिक्षण किया जाता है।

इस योजना में दो इकाई के समूह का ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट , उकल इकाई को प्लम्बर कार्य के लिए, दो इकाई के समूह को फोटो कॉपीयर मय एसटीडी व पीसीओ के लिए , एकल इकाई को किराना व जनरल स्टोर के लिए , तीन इकाई के समूह को इलेक्ट्रोनिक बाईण्डिंग के लिए , 12 व्यक्तियों के समूह को बैण्डबाजा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

<u>महिला स्वयं सहायता समूह</u>

माडा बिखरी योजना के अन्तर्गत से महिला स्वयं सहायता समूह योजना प्ररम्भ की गई। इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजाति परिवार की महिलाओं के समूह को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जाते है। ऐसे एक समूह में कम से कम दो व अधिकतम 10 महिलाऐ होगी।

इस योजना में महिला समूह को होजरी एवं गारमेन्ट , डेयरी एवं पशुपालन , आचार–मुरब्बा एवं शर्बत , मसाला उपयोग , कशीदाकारी , किराना एवं जनरल स्टोर , ग्रामीण कुभंकारी उद्योग , लूम पर दरी बुनाई , बांस बैत , फोटो कॉपीयर एवं एसटीडी , पीसीओ, के लिए प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्ध कराये जाते है।

<u>महाराष्ट्र पैटर्न योजनाऐं (राज्य योजना)</u>

इस योजना का लाभ जनजाति के ऐसे विद्यार्थी को देय है जो कक्षा 10 वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत है एवं कक्षा 11 वी में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा 12 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

कक्षा 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्रा का कॉलेज में प्रथम वर्ष में तथा आगामी कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने पर भी प्रतिभावान छात्रवृत्ति देय है।

इसी प्रकार स्नातक कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में तथा आगामी कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ देय है। योजना के लाभ के लिए आवेदक के अभिभावक आयकर दाता नहीं होने चाहिऐं।

<u>उच्च शिक्षा छात्रा छात्रवृत्ति</u>

महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत सभी जनजाति छात्राओं को जिन्होनें गत परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है को प्रति वर्ष 3500 रू. की छात्रवृत्ति देय है।

<u>कम्प्यूटर प्रशिक्षण</u>

जनजाति छात्र छात्राओं को एक वर्षीय ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृति जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जाती है। प्राप्त आवेदकों की मैरिट सूची बनाकर साक्षात्कार उप निर्धारित संस्थाओं को आशार्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाती है एवं चयनित संस्थान से प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

<u>माडा छात्रावास</u>

पंचायत समिति बारां में बटावदा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति अटरू में कुजेड ग्राम पंचायत में एक–एक करोड की लागत राशि के माडा छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

<u>हैण्डपम्प स्थापना</u>

माडा, कलक्टर उवं बिखरी योजना में लक्ष्य के अनुरूप हैण्डपम्प लगाये जाते हैं। इस कार्य के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रति हैण्डपम्प 50 हजार रू. की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

<u>सामूदायिक लाभ</u>

जनजाति बस्तियों में सामूदायिक लाभ के लिए विद्यालयों में अतिक्ति कक्षा का निर्माण , हैण्डपम्प स्थापना , जलप्रदाय योजना , एनीकट निर्माण , सामूदायिक भवन निर्माण , अस्पताल की चार दीवारी निमार्ण , घाट निर्माण अन्य कार्यो के प्रस्ताव पंचायत समितियों से प्राप्त कर जनजाति विभाग को भिजवाये जाते हैं। वहां से अनुमोदन के पश्चात कार्यो की स्वीकृति जारी की जाती है।

सम्बल ग्राम विकास योजना

1. सम्बल योजनान्तर्गत सम्बल ग्रामों से तात्पर्य उन ग्रामों से है जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे ग्रामों की जिलेवार सूची जिला कलक्टर/जिला समाज कल्याण अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद/परियोजना प्रबन्धक, राज. अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के कार्यालय में उपलब्ध है।
2. वर्ष 2004–05 में सम्बल ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार सम्बल ग्रामों की सूची परिशिष्ट (क) परउपलब्ध है।
3. विभाग द्वारा जिले के चयनित सम्बल ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास विस्तार या निर्माण पर 5.00 लाख रूपये तक की लागत राशि के कार्य स्वीकृति किये जा सकेंगे।
4. योजानान्तर्गत कुल आवंटित राशि में से 75 प्रतिशत राशि चयनित आर्दश सम्बल ग्रामों में विकास कार्यो को करवाये जाने हेतु जिला कलक्टर स्तर पर स्वीकृति की जावेगी एवं शेष 25 प्रतिशत राशि अन्य सम्बल ग्रामों में ग्रामवासियों की आवश्यकतानुसार आरक्षित राशि में से निदेशालय एवं राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्तर पर स्वीकृतियाँ जारी की जायेगी।
5. विभाग द्वारा ऐसे कार्यो हेतु राशि आवंटित की जावेगी , जो कार्य अन्य विभाग द्वारा उस ग्राम में सामान्यतः सम्पादित नहीं किये गये हों। प्राथमिकता का निर्धारण गांव की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाये। निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे :–
   - अ. पक्की सड़क
   - ब. पानी की जी.एल.आर. पाईप लाईन
   - स. बिजली की लाईन , खम्भे (पोल)
   - द. विद्यालय भवन का निर्माण
   - य. अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुगति से
6. समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित राशि जिला परिषद के निजी निक्षेप खाते में उस जिले में जिला कोषालय द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी तथा स्वीकृतियाँ जारी कराकर अधिकतम एक वर्ष में ही निर्धारित कार्य पूर्ण करवाया जायेगा तथा व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2005–06 के प्रथम त्रैमासान्त तक समाज कल्याण विभाग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मूल प्रति मे जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. जिस ग्राम में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है, उस ग्राम का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति में निम्न सदस्य होगें :–
   - अ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद सदस्य
   - ब. परियोजना प्रबन्धक , राज. अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सदस्य सहकारी निगम लिमिटेड
   - स. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीवीक्षा एवं समाज सदस्य सचिव कल्याण अधिकारी , समाज कल्याण विभाग

आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु समिति गांव का चयन निम्न प्राथमिकताओं पर ही करेगी :–

1. ग्राम का चयन जिले के सम्बल ग्रामों में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या का आकार एवं उसका प्रतिशत व अभी तक विकास कार्य की स्थिति (विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत) आदि का सामूहिक

अधिभार के आधार पर प्रतिवर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। चयनित सम्बल ग्रामों में प्रतिवर्ष एक या दो कार्य ही स्वीकृत किये जाएंगे।

2. आधारभूत सुविधाओं का विकास विस्तार भविष्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए किया जाना है। कार्यकारी एजेन्सी का निर्धारण जिला कलक्टर स्तर पर किया जायेगा।
3. सम्बन्धित विभागों से करवये जाने वाले कार्यो हेतु जिला कलक्टर स्तर ही कार्यवाही किया जाना उपेक्षित होगा। प्राशासनिक विभाग समाज कल्याण विभाग ही रहेगा।
4. योजना के संम्बन्ध में आवश्यक तालमेल, कियान्वयन की प्रगति आदि से विकास एवं करवाने का कार्य जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिले में पदस्थापित समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. समिति द्वारा जिले के चयनित सम्बल ग्राम में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु करवाये जाने वाले कार्यो पर होने वाले सम्भावित व्यय का अनुमानित व्यय ब्यौरा एवं कार्य का तकनीमा एवं नक्शा जिला कलक्टर द्वारा सीधे ही सम्बन्धित विभाग को भिजवाया जाना है। समाज कल्याण विभाग को ऐसे कार्य का अनुमानित व्यय ब्यौरा/कार्य का तकनीमा एवं नक्शा प्रेषित किया जाना है। जिसे अन्य विभाग द्वारा करवाया जाना सम्भव नहीं है। ध्यान रहें कि विभाग द्वारा अधिकतम एक ग्राम हेतु 5.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।
6. संबंधित विभागों तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत राशि से सृजितचल/ अचल सम्पति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति बिना निष्पादित नहीं की जायेगी।
7. इस राशि से सृजित लेखे राज्य सरकार अथवा उसे प्रतिनिधि की जांच हेतु सदैव खुले रहेगें।
8. कार्य की प्रगति रिपोर्ट माह की 15 तारिख तक समाज कल्याण विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक राज. अनु.जाति वित्त एवं विकास अधिकारी निगम लिमिटेड, जयपुर कार्यालय को भेजी जायेगी।
9. निर्माण कराये जाने वाले कार्यो हेतु प्रस्तावित भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निःशुल्क पट्टा जारी किया जाना आवश्यक है।
10. निर्माण कार्यो का तकनीमा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका/सार्वजनिक निर्माण विभाग की वी.एस.आर. के अनुरूप ही होगें।
11. कार्य की व्यय राशि मूल स्वीकृति से अधिक होने की स्थिति में अधिक व्यय राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा अन्य मद से की जावेगी। सम्बल योजना मद से अतिरिक्त राशि देय नही होगी।
12. सम्बल योजना मद के अन्तर्गत नवीन कार्ये ही स्वीकृति किये जा सकेंगे। अन्य मद से स्वीकृत अपूर्ण कार्य योजना में नही लिये जा सकेंगें।
13. भवन या निर्मित कार्य के रखरखाव अथवा मरम्मत के लिए सम्बल योजना मद में भविष्य में कोई राशि देय नहीं होगी।
14. स्वीकृत कार्य के रखरखाव अथवा मरम्मत के लिए सम्बल योजना मद में भविष्य में कोई राशि देय नहीं होगी।
15. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की एक माह की समयावधि में कार्य प्रारम्भ करवाया जाना आवश्यक है।
16. कार्य का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य की समाप्ति के एक माह के उपरान्त सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा इस विभाग को भिजवाया जाना आवश्यक है।
17. चिन्हित आदर्श सम्बल ग्रामों के अतिरिक्त जिले के अन्य सम्बल ग्रामों में निदेशालय एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास अधिकारी निगम लिमिटेड स्तर पर उपलब्ध आरक्षित राशि से कार्य काराये जा सकेंगें। ऐसे कार्यो के प्रस्ताव मय तकनीमा एवं नक्शे के जिला कलक्टर के माध्यम से निदेशालय को भिजवाये जायेगें। प्रस्ताव के साथ ही कार्यकारी ऐजेन्सी का चयन जिला स्तर पर ही किया जाकर प्रस्तावित किया जायेगा।

18. यथा सम्भव कार्यो की स्वीकृति जिला परिषद स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से किये जावे ताकि एक ही कार्य के एक से अधिक एजेन्सी द्वारा स्वीकृति/भुगतान की स्थिति ना बने।
19. कार्य का भुगतान जिला परिषद स्तर से किया जावें।
20. किसी कार्य की राज्य स्तर पर स्वीकृति आवश्यक हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यह प्रमाण पत्र देवे कि प्रस्ताविक कार्य पहले किसी योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है।

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

प्रस्तावना :–

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव में स्थानयस समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ''ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना '' वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा के क्रम मं लागू की जा रही है। योजनान्तर्गत विकास कार्यो का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेगें।

योजना का उद्देश्य :–

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

योजना की विशेषताएं

- यह राज्य वित्त पोषित येाजना हैं एवं केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।
- इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणधीन/अपूर्ण कार्यो को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।
- इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की वित्त पोषण निम्नानुसार होगा :–

		राज्यांश	जन सहयोग
1.	शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	अन्य कार्य		
	(अ) सामान्य क्षेत्र	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

- जन सहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकार संस्था/ट्रस्ट/ पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगज दानदाता द्वारा किया जा सकेगा। जन सहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/ डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

<u>कार्यो के प्रस्ताव :–</u>

- इस योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में कराये जावेगे। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थि एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।
- **योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :–**
  - (अ) अनुदान एवं ऋण।
  - (ब) वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति।
  - (स) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
  - (द) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
  - (य) धार्मिक पूजा स्थल।
  - (र) योजना में जातिगंत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन अनुमत नहीं होगें।
- कार्यो की स्वीकृतियों आवंटित राशि की सीमा तक ही जारी की जावेगी ताकि कोई देनदारियां योजनान्तर्गत लम्बित नहीं रहे।
- इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्य, विकासात्मक प्रकृति एवं सामुदायिक उपयोग के होने पर स्वीकृत किये जायेंगे तथा टिकाउ, परिसम्पतियों पर अधिक जोर दिया जावेगा। आवृत्ति व्यय हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी।
- सृजित होने वाली परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्था मं निहित होगा एवं उसका इन्द्राज पंचायत के परिसम्पति रजिस्टर में करना अनिर्वाय होगा।
- <u>जन सहयोग :–</u>
  - ○ निर्धारित जन सहयोग की पूर्ण राशि एक मुश्त ही स्वीकृति से पूर्व पंचायत समिति/जिलाा परिषद में जमा करानी होगी।
  - ○ ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग नकद के रूप में ही दिया जावेगा।
  - ○ राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत उसी विद्यालय के भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए योजना में देय निर्धारित जनसहयोग के पेटे छात्र निधि कोष का उपयोग किया जा सकेगा।

○ <u>कार्यो की स्वीकृति :–</u>

❖ निर्धारित जन सहयोग की वांछित पूर्ण राशि नकद के रूप में जमा हो जाने के पश्चात बजट की उपलब्धता द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2004 के अन्तर्गत प्रदत्त

शक्तियों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

- ❖ ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कार्यो की स्वीकृति के लिए वरियता का आधार पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों में से ही रखा जाये न कि जिले में प्राप्त प्रस्तावों की वरियाता के आधार पर किया जावेगा।
- ❖ योजनान्तर्गत जिले को आवंटित/स्वीकृति बजट का पंचायत समितिवार उपावंटन, इस योजनान्तर्गत पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों के अनुपात के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा।
- ❖ यदि किसी पंचायत समिति में योजनान्तर्गत प्रस्ताव नहीं हुए हों तो ऐसी स्थिति में राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य पंचायत समिति जिसमें योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त है, के कार्य प्रस्तावों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जा सकेगी।
- ❖ यदि ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग नगद के रूप में न दिया जाकर जन सहयोग की राशि के बराबर की लागत का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित हो तथा पंचायत समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया हो तो जिला कलक्टर की स्वीकृति जारी कर सकते है।

○ **कार्यो का कियान्वयन :–**

सामान्यतया कार्य का कियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं/राजकीय विभागों द्वारा कराया जावेगा।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, बारां (राज.)

मुख्य उद्देश्य :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन सहन में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए त्वरित कार्य।
- जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छतागत सुविधाओं के लिए और मांग पैदा करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों/आंगनबाडियों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध करवाना। इसके तहत विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालयों इकाईयों एवं आंगनबाडियों में एकल शौचालय इकाई का निर्माण करना और विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा को बढावा देना और साफ–सफाई की आदत डालना।
- स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढावा देना।

स्वच्छता के सात घटक :–

1. पेयजल का रख–रखाव और हमारा व्यवहार
2. बेकार पानी की उचित स्थान पर निकासी
3. मानव मल का सुरक्षित निपटान
4. कूडा–करकट और गोबर आदि का सुरक्षित निपटान
5. व्यक्तिगत स्वच्छता
6. घर एवं भोजन की स्वच्छता
7. गांव की स्वच्छता

अभियान के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राषि का प्रावधान :–

- बीपीएल परिवारों के घरों मे कम लागत का जलबन्ध शौचालय मय स्थायी/ अस्थायी कक्ष सहित निर्माण होने पर परिवार को देय प्रोत्साहन राशि 2200 रूपये प्रति परिवार।
- एपीएल परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि का प्रावधान नहीं है।

आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में हर आंगनबाड़ी सरकारी भवन केन्द्र पर 13000/– रू. की इकाई लागत वाला एक शौचालय बनाया जाता है, जिसमें 8000/–रू. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान व 5000रू. NRHM के Untied Fund से दिये जाते हैं। इस उद्धेश्य से इस परियोजना में हर आंगनबाड़ी को एक बाल अनुकूल शौचालय मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

विद्यालय शौचालय निर्माण

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनाने हेतु बीस हजार रू. सर्व शिक्षा अभियान को दिये जाते हैं जिनका निर्माण SMC के माध्यम से होता है।

सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 2 लाख इकाई लागत वाला सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किया जाता है जिसमें केन्द्र मद से 60 प्रतिशत (1,20,000रू.) तथा राज्य मद से 20प्रतिशत (40000रू.) तथा जन सहभागिता से 20प्रतिशत (40000रू.) होती है।

जनसहभागिता का अंशदान पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इन कॉम्पलेक्सों की देखरेख अत्यन्त मह़त्त्वपूर्ण है, जिसकी अंतिम जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है।

निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना :–

ग्रामीण विकास एवं पंचाती राज विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 765 दिनांक 07.05.07 जारी कर वर्ष 2007–08 से उक्त योजना प्रारंभ की गई है दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्त करने वाली पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ व सुन्दर गांव राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को बढावा देने व प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उक्त योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत निम्न पात्रता व पुरस्कृत राशि निर्धारित की गई है।

1. निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रत्येक पंचायत को 1.00 लाख।
2. यदि किसी पंचायत समिति में 10 से अधिक पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त होता है तो उस पंचायत समिति को 5.00 लाख रूपयें।
3. 30 से अधिक पुरस्कृत पंचायतों वाली जिला परिषद् को 10.00 रूपये नकद पुरस्कार दिया जावेगा।
4. यदि कोई जिला परिषद इस पुरस्कार के लिए पात्र बनती है एवं साथ में दो पंचायत समितियों में 10–10 गांव यह पुस्कार प्राप्त करते है तो ऐसे जिले को कम से कम 50. 00 लाख रूपये पुरस्कार के रूप में मिलेगें।

योजनांतर्गत पुरस्कार के रूप में प्राप्त राषि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं :–

1. गंदे पानी के निकास हेतु नाला/नाली निर्माण।
2. हैण्डपंप अथवा सार्वजनिक कुयें से व्यर्थ बहने वाले पानी के निस्तारण हेतु शॉकपिट आदि का निर्माण
3. वर्षा जल संग्रहण।
4. कच्ची गलियों को पक्का करना (सीमेंट कंकरीट रहित)
5. कचरा पात्रों का क्रय।
6. पाठशालाओं में लड़के/लडकियों हेतु टॉयलेट निर्माण
7. सार्वजनिक उद्यान का निर्माण
8. आंगनबाडी केन्द्रों में शौचालय निर्माण
9. खेल मैदान का निर्माण।

प्राप्त राशि संबंधित ग्राम पंचायतों में ही व्यय की जा सकेगी। योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण/मरम्मत किसी पंजीकृत संस्था अथवा ट्रस्ट गैर सरकारी संगठन अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाने के लिए मरम्मत एवं रखरखाव तथा कच्ची प्रकृति के कार्यो पर व्यय किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जलग्रहण क्षैत्र विकास कार्यक्रम

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षैत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत जलग्रहण (वाटरसेड) परियोजनाओं के कार्यान्वन संबंधी हरियाली मार्गदर्शिका सिद्धान्त :—

*** मार्गदर्शिका के उद्‌देश्यः—**

1. ग्राम पंचायतों के जरिये ग्रामीण क्षैत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना तथा वर्षा जल के संचयन तथा प्रबन्ध के द्वारा पंचायतों के लिये आय के नियमित स्रोत सृजित करना।
2. ग्राम समुदाय के लिये आय के सतत स्रोत सृजित करने हेतु सिंचाई, वृक्षारोपण बागवानी, चारागाह विकास आदि के प्रायोजनों के लिये तथा पेयजल आपूर्ति के लिये वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संग्रह करना।
3. भूमि, जल संरक्षण विकास के द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः कायम करना।

*** जलग्रहण क्षैत्रों (वाटरशेडों) के चयन के लिये मानदण्ड :—**

1. ऐसे जलग्रहण संग्रहण क्षैत्र जहां पर पेयजल की अत्यधिक कमी हो, बंजर भूमि की अधिकता हो, तथा अनु.जाति /जनजातियों की बडी संख्या क्षैत्रों पर निर्भर हो।

*** परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण :—**

1. जिलास्तर पर जिला परिषद राज्य सरकार तथा भारत सरकार के परिवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत सभी क्षैत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के केन्द्रक (नोडल प्राधिकरण) होगें।
2. ग्राम पंचायतें परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) के समग्र परिवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत परियोजनाऐं क्रियान्वित करेंगी। ग्राम पंचायत परियोजना के कार्यान्वयन के जल संग्रहण विकास दल तथा जिला परिषद के साथ समन्वयन तथा सम्पर्क बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होंगी। यह जल संरक्षण विकास कार्यो को करने तथा इसके लिये भुगतान करने हेतु स्वंय उत्तरदायी होंगी।
3. ग्राम पंचायत जल संरक्षण परियोजना के लिये एक अलग खाता रखेगी। जिला परिषद से प्राप्त सभी धनराशी को इस खाते में जमा किया जावेगा। इस खाते का संचालन ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

*** जल संग्रहण विकास संबंधी कार्यकलाप :—**

1. कृषि उत्पादन हेतु कम लागत वाले तालाब, नालों पर बांध, रोक बांध और रिसने वाले टैंक आदि जैसी लघु जल संचयी संरचनाओं का विकास और भू—जल की पुनः भराई हेतु अन्य उपाय करना।
2. पीने के लिए /सिंचाई/ मत्स्य विकास के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु जल स्रोतों का नवीकरण और उनका विस्तार तथा गांव के तालाबों की सफाई करना।
3. गांव के तालाबों/टैंकों, फार्म तालाबों आदि में मत्स्यपालन।
4. ब्लॉक पौध रोपण, कृषि वानिकी तथा वागवानी विकास।
5. चरागाहों का विकास ईत्यादि।

*** वित्तपोषण पद्धति :–**

1. वर्तमान लागत मानदण्ड 6000/–रू. प्रति हैक्टेयर है। इस राशि को निम्नलिखित परियोजना संघटकों के बीच प्रत्येक के सामने उल्लेख की गई प्रतिशतता के अनुसार विभाजित किया जाऐगा :–

1– जल संग्रहण उपचार/ विकास कार्य/ गतिविधियॉ	85 प्रतिशत
2– सामुदायिक संघटन और प्रशिक्षण	5 प्रतिशत
3– प्रशासनिक व्यय	10 प्रतिशत
योग–	**100 प्रतिशत**

*** किस्ते जारी करने हेतु प्रकिया :–**

1. निधियों के केन्द्रीय भाग को जिला परिषदों को पॉच वर्षो की अवधि में पॉच किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों द्वारा भी अपना सदृश भाग जिला परिषदों को तदनुसार जारी किया जाएगा।

*** जल संग्रहण विकास निधि :–**

1. जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों में गांवों के चयन के लिए एक अनिवार्य शर्त जल संग्रहण विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) में लोगों द्वारा अंशदान करना है। जल संग्रहण विकास निधि में अंशदान लोगों की निजी भूमि पर किए गए कार्य की लागत के कम से कम 10 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। अनु. जाति/ अनु.जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर किए गए कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। सामुदायिक सम्पत्ति के संबंध में निधि के लिए अंशदान सभी लाभार्थीयों से प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यय की गई विकास लागत का न्यूनतम 5 प्रतिशत की दर से होगा।

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (आईडब्ल्यूएमपी) के लिये समान पारदर्शी सिद्धान्त :–

*** मार्गदर्शी सिद्धान्त :–**

1. समानता और महिलाओं की भागीदारी : वाटरशेड विकास परियोजनाओं को समग्रता बढ़ाने के साधनों के रूप में माना जाना चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को समानता प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाना चाहिए जैसे (क) गरीबों की परिसम्पत्तियों में निवेश करके तथा उत्पादकता एवं आय में सुधार के जरिए गरीबों के लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, (ख) गरीबों, विशेषरूप से महिलाओं को लाभों की प्राप्ति में सुधार लाना (ग) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भूमिका तथा संस्थागत व्यवस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढाना (घ) संसाधनहीन गरीबों के लिए वार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों से भोगाधिकारों को सुनिश्चित करना।
2. सामुदायिक भागीदार का केन्द्र बिन्दु : मूल भागीदारों की सहभागिता वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना, बजट तैयार करने, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन का केन्द्र बिन्दू है। सामुदायिक संगठनों को ग्राम सभाओं के साथ निकटता से सहयोजित किया जा सकता है और परियोजना कार्यकलापों में इन्हें ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

*** जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) :–**

1. उन जिलों में, जहां पर वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षैत्र लगभग 25,000 हैक्टेयर है, जिला स्तर पर एक पृथक समर्पित इकाई, जिसे जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) कहा जाएगा, स्थापित की जाएगी, जो प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और इस प्रयोजन के लिए उसका एक अलग स्वतंत्र खाता होगा।
2. जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) एक पृथक इकाई होगी जिसमें पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक संघटन/प्रबंधन तथा लेखा के 3 से 4 विषय–वस्तु विशेषज्ञ शामिल होंगे।

*** परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) :–**

1. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आई.ए.) प्रक्रिया के जरिए वाटरशेड के संबंध में विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगी, ग्राम समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेगी, वाटरशेड विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, परियोजना लेखों का निरीक्षण और उन्हें प्रमाणित करेगी तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पत्तियों के आगे और विकास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करेगी।

*** वाटरशेड विकास दल :–**

1. वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) का एक अभिन्न भाग है और इसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाएगा। प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबन्धन, सामाजिक संघटन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य शामिल होने चाहिए। डब्ल्यू. डी.टी. में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।

*** वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) :–**

1. ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/ नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगें। जहा एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से समितियां गठित की जाएगीं। वाटरशेड समिति को किराए पर एक स्वंतत्र कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. वाटरशेड विकास दल के सदस्यों तथा वाटरशेड समिति के सचिव के वेतनों संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को व्यावसायिक सहायता के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद में से प्रभारित किया जाएगा।

*** सचिव, वाटरशेड समिति :–**

1. ग्राम वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) के सचिव का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा और उसका चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

*** परियोजना प्रबन्धन :–**

1. परियोजना अवधि को नोडल मंत्रालय के निर्णयानुसार तथा नीचे दिए गए अनुसार तीन अलग–अलग चरणों में बांटा जा सकता है :–

चरण	नाम	अवधि
I	प्रारम्भिक चरण	1–2 वर्ष
II	वाटरशेड कार्य चरण	2–3 वर्ष
III	समेकन और निवर्तन चरण	1–2 वर्ष

*** प्रारम्भिक चरण :–**

1. इस चरण के दौरान वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) एक सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करेगा। इस चरण में, मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगेः–
   - (क) स्थानीय समुदायों की तत्काल आवश्यकताओं पर आधारित कार्य जैसे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्धता बढाना, स्थानीय उर्जा शक्यता का विकास करना, भू–जल शक्यता का संवर्द्धन करना आदि।
   - (ख) परिसम्पत्तियों तथा संरचनाओं (जैसे गांव के टैंक) की मरम्मत करने, पुनः उपयोग योग्य बनाने तथा उनका उन्नयन करने का कार्य शुरू किया जा सकता है।
2. वाटरशेड क्षेत्र के समेकित विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) की सक्रिय भागीदारी के साथ वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा तैयार की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करने तथा इसे अंतिम रूप देने में डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा भूमि और जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न विषयगत (थीमैटिक) नक्शों का उपयोग किया जाना चाहिए।

*** वाटरशेड कार्य चरण :–**

1. यह चरण कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु है, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को कार्यान्वित किया जाएगा। इस चरण में शामिल किये जाने वाले कुछेक महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–
   - (क) कम कीमत से निर्मित कृषि तालाबों, नालों पर बांधों, रोक–बांधों, रिसने वाले टेंकों और कुंओ, बोर–वेलों तथा अन्य उपायों के जरिए भू–जल की पुनः भराई जैसी जल–संग्रहण संरचनाओं का विकास।
   - (ख) नई फसलों / किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन करना।
   - (ग) चरागाह विकास, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, जुगाली करने वाले छोटे पशु, अन्य पशु पालन तथा अन्य लघु उद्यम।
   - (घ) पशुओं के लिए पशु–चिकित्सा सेवाऐं और पशुधन सुधार संबंधी अन्य उपाय।
   - (ड) गांव के तालाबों /टैंकों, खेत तालाबों आदि में मत्स्य विकास।

*** समेकन तथा निवर्तन चरण :–**

1. विभिन्न कार्यो को समेकित करना :–
   - (क) प्रत्येक कार्य की स्थिति के संबंध में ब्यौरों सहित परियोजना पूरा होने संबंधी रिपोर्ट तैयार करना।
   - (ख) भविष्य में उपयोग के लिए सफल अनुभवों तथा प्राप्त किए गए ज्ञान के प्रलेख तैयार करना।
   - (ग) विकसित प्राकृतिक संसाधनों का सतत् आधार पर उपयोग।

2. विशिष्ट वाटरशेड परियोजनाओं के लिए उनमें शामिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का वितरण निम्नानुसार है :–

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता
– प्रशासनिक लागत	10
– निगरानी	1
– मूल्यांकन	1
प्रारम्भिक चरण, निम्नलिखित सहित :–	
– प्रारम्भिक कार्यकलाप	4
– संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5

– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1
वाटरशेड कार्य चरण :–	
– वाटरशेड विकास कार्य,	50
– गरीबी रेखा के नीचे के (बीपीएल) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप,	10
– उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	13
समेकन चरण	5
योग	**100**

*** वाटरशेड विकास निधि :–**

1. वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु एक अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन.आर.एम. कार्यो की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा। तथापि, अनु.जाति/ अनु. जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामलों में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर निष्पादित एन.आरत्रएम. कार्यो की लागत का 5 प्रतिशत होगा। तथापि, निजी भूमि पर मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि–वानिकी, पशुपालन आदि जैसे अन्य लागत प्रधान कृषि कार्यकलापों, जिनसे किसानों को सीधे ही लाभ प्राप्त होता है, किसानों का अंशदान सामान्य श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत तथा अनु.जातियों तथा अनु. जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 20 प्रतिशत होगा तथा कार्यकलापों की शेष लागत अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत और अनु.जातियों तथा अनु. जनजातियों की श्रेणी के लिए 80 प्रतिशत लागत परियोजना निधियों से पूरी की जाएगी।

*** परियोजना को समय–पूर्व बन्द करना :–**

1. निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को समय पूर्व बंद करने हेतु स्वतः ही कदम उठाए जा सकते हैं :–
   (क) परियोजना के प्रति राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकारीयों की ओर से निरंतर उदासीनता।
   (ख) प्रारंभिक चरण के समाप्त होने के पश्चात दो वर्षो तक कोई वैध औचित्य न देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत न करना।
   (ग) यदि परियोजना के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय में निर्णयाधीन है और परियोजना कार्यकलाप को स्थगित करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो।

जिला परिषद बारां के सदस्य गणों के नाम व फोन नम्बर

क्र. स.	नाम सदस्य	वार्ड.न.	पद	मोबाईल नं.
1	श्री रामचरण मीणा	7	जिला प्रमुख	9799483411
2	श्री प्रकाशचन्द्र नागर	6	उपजिला प्रमुख	9414190640
3	श्रीमती रूकमणी बाई सुमन	1	सदस्य	9785115960
4	श्रीमती अन्जू मीणा	2	सदस्य	9929466908
5	श्री प्रेमनारायण गालव	3	सदस्य	9514257039
6	श्रीमती कलावती धाकड	4	सदस्य	9928945368 / 9001182583
7	श्री जयकिशन मीणा	5	सदस्य	9460678751
8	श्री हेमन्त कुमार शर्मा	8	सदस्य	9414650308 / 9784375777
9	श्रीमती मन्जू शर्मा	9	सदस्य	9829450455
10	श्रीमती सुनीता मीणा	10	सदस्य	9414000666
11	श्रीमती चन्दनबाई मीणा	11	सदस्य	9772568244
12	श्रीमती कृष्णा कुमारी	12	सदस्य	9928065434
13	श्री अन्जू बाई कालकर	13	सदस्य	9829669796
14	श्री रघुनाथ बैरवा	14	सदस्य	9784689161
15	श्री परमानन्द मित्तल	15	सदस्य	9829516881
16	श्रीमती कमलेशबाई	16	सदस्य	9799111559
17	श्री श्यामलाल मीणा	17	सदस्य	9929584416
18	श्री ममताबाई गुर्जर	18	सदस्य	9929584344
19	श्रीमती मांगीबाई भाटिया	19	सदस्य	9929163596
20	श्रीमती सावित्री शाक्यवाल	20	सदस्य	9602831694 / 8890420110
21	श्री इन्द्रलाल किराड	21	सदस्य	9983177227
22	श्री शिवदयाल बामनियां	22	सदस्य	9929697997
23	श्री जगदीश सिह जाट	23	सदस्य	9672019924
24	श्री अमरलाल गुर्जर	24	सदस्य	9982823305
25	श्री निर्मल माथोडिया	25	सदस्य	9414191103

प्रधानगणों के नाम व दूरभाष नम्बर

क्रं.सं.	पंचायत समिति का नाम	नाम/पद	मोबाईल नम्बर
1	बारां	श्रीमती योगेश्वरी शर्मा	9571281655
2	अन्ता	श्रीमती संजना मीणा	9001766366
3	किशनगंज	श्रीमती प्रेमबाई नागर	9414190758
4	अटरू	श्री गिर्राज धाकड	9414317531
5	छबडा	श्री गोकुल चन्द्र रावल	9929589484
6	छीपाबडौद	श्री बाबूलाल मीणा	9980099122
7	शाहाबाद	श्रीमती गजरी बाई सहरियां	9166454229

उप जिला कलक्टर के नाम व दूरभाष नम्बर

क्रं.सं.	पंचायत समिति का नाम	नाम/पद	मोबाईल नम्बर
1	बारां	श्री मोहनलाल दायमा (अति.चार्ज)	9414831572
2	अन्ता	श्री मोहनलाल दायमा	9414831572
3	किशनगंज	श्री मोहनलाल वर्मा	9414190732
4	अटरू		
5	छबडा	श्री अशोक पुरूषवानी	9829348905
6	छीपाबडौद	श्री गजेन्द्र सिंह चारण	9414411829
7	शाहाबाद	श्री मुक्तानन्द अग्रवाल	9468585123

विकास अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर

क्रं.सं.	पंचायत समिति का नाम	विकास अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1	बारां	श्री सुनील दत्तात्रेय	9352013373
2	अन्ता	श्रीमती पार्वती गुर्जर	9460980524
3	किशनगंज	श्री एल.एल.गुरू	9414249894
4	अटरू	श्री शैलेष रंजन	9414252396
5	शाहबाद	श्री अनिल शुक्ला	9672266696
6	छबड़ा	श्री जे.पी.श्रीमाली	9414839298
7	छीपाबड़ौद	श्री रामधन मीणा	9413924233

जिला स्तरीय अधिकारियों के नाम/पद मय मोबाईल नम्बर

क्रं. सं.	अधिकारियों के नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री नवीन जैन	जिला कलक्टर	9414506565
2	श्री एस.बी.जैमन	अति0 जिला कलक्टर	9414191050
3	श्री बलवन्त सिंह जी	उप निदेशक कृषि विभाग	9413102838
4	श्री जे.पी.छावरिया	उप निदेशक समाज कल्याण विभाग	9829145496
5	श्री बी.सी.जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	9829145496
6	श्री अब्दुल सलाम अंसारी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथ0)	9950577174
7	श्री उपकार जी बौराना	मंडल वन अधिकारी बारां	9468584529
8	श्री पारस चन्द जैन	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य0)	9413603345
9	श्री सोहन लाल सालवी	अधीक्षण अभियन्ता,(पी.एच.ई.डी.) बारां	9414353649
10	श्री वी.के.चतुर्वेदी	अधिशाषी अभियन्ता, (पी.एच.ई.डी.) बारां	9413354206
11	श्री एम.पी. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता, (पी.एच.ई.डी.) अटरू	9413087696
12	श्री वी.डी. महेश्वरी	अधीक्षण अभियन्ता (सा0नि0वि0) बारां	9414184300
13	श्री डी.आर. क्षत्रीय	अधिशाषी अभियन्ता, (सा0नि0वि0)	9414185882
14	श्री एच.पी. मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, (सा0नि0वि0) छबड़ा	9414286802
15	श्री डी.एस. चौहान	अधिशाषी अभियन्ता,(सा0नि0वि0) मांगरोल	9414301146
16	श्री बी.के.एन.छितले	अधिशाषी अभियन्ता,(सा0नि0वि0) शाहबाद	9414180053
17	श्री के.जी.चतुर्वेदी	अधीक्षण अभियन्ता, (जे.वी.वी.एन.एल)	9413390976
18	श्री शिवप्रसाद पाण्डेय	अधिशाषी अभियन्ता, (जे.वी.वी.एन.एल)	9413390981
19	श्री निगम	अधिशाषी अभियन्ता, (जे.वी.वी.एन.एल) अटरू	9413391149

जिला परिषद अधिकारियों के नाम/पद मय मोबाईल नम्बर

क्रं. सं.	अधिकारियों के नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री पी.सी. पवन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	9414186231
2	श्री गजेन्द्र सिंह राठोड़	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी	9413052922
3	श्री रामप्रताप मीणा	परियोजना अधिकारी लेखा	9460574974
4	श्री आर.के.विजय	लेखाधिकारी पंचायतीराज	9269596020
5	श्री एस.के.वर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन)	9414185832
6	श्री संजीव जैन	अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी)	9414370651
7	श्री इन्द्रजीत मीणा	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गॉधी नरेगा)	9414257011
8	श्री निर्मल कुमार मिततल	सहायक अभियन्ता (भू संसाधन)	9414311635
9	श्री एस.एन.गोस्वामी	पी.एम. (एस.जी.एस.वाई)	9462718633
10	श्री ओबेदुल्ला खान	पी.एम. (माडा)	9001543083
11	श्री मनीष शर्मा	डी.पी.सी. (टी.एस.सी.)	9829536547